ओरियण्टल गैस कम्पनी

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका ।

1. अधीक्षण के अधीन सड़कों आदि के तोड़ने की और नालियां खोलने की शक्ति ।

2. बिना सहमति के प्राइवेट भूमि पर प्रवेश न करना ।

3. सड़क तोड़ने या मोरी खोलने से पहले नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों पर सूचना की तामील ।

4. सड़कों या मोरियों का उन व्यक्तियों के अधीक्षण के सिवाय जिनका उन पर नियंत्रण है, खोला न जाना । यदि वे व्यक्ति जिनके पास नियंत्रण, आदि हैं, अधीक्षण करने में असफल रहते हैं तो कंपनी संकर्म आरंभ कर सकेगी ।

5. तोड़े गए मार्गों को विलम्ब किए बिना पहले जैसा करना ।

6. मार्गों को पहले जैसा करने में विलम्ब के लिए शास्ति ।

7. विलम्ब की दशा में अन्य पक्षकार पहले जैसा कर सकेंगे और खर्चे वसूल कर सकेंगे । खर्चे कैसे अभिनिश्चित किए जाएंगे और कैसे वसूल कर सकेंगे ।

8. उपभोग की गई गैस की मात्रा अभिनिश्चित करने के लिए भवनों में प्रवेश करने की शक्ति ।

9. गैस के लिए शोध्य भाटक की वसूली ।

10. जब गैस का प्रदाय बन्द हो जाता है तब पाइपों को ले जाने की शक्ति ।

11. भाटक आदि के लिए मीटर करस्थम् के लिए दायी नहीं होगा ।

12. कपटपूर्वक गैस के प्रयोग के लिए शास्ति ।

13. जानबूझकर पाइपों को नुकसान पहुंचाने के लिए शास्ति ।

14. पाइपों के दुर्घटनावश नुकसान के लिए तुष्टि ।

15. जल दूषित करने के लिए शास्ति । अपराध के सतत होने के लिए प्रतिदिन शास्ति ।

16. सूचना के पश्चात् गैस की निकासी के दौरान प्रतिदिन शास्ति ।

17. यदि गैस द्वारा जल दूषित हुआ है तो उसके लिए शास्ति ।

18. जल दूषित हो जाने के कारण को अभिनिश्चित करने के लिए पाइपों का निरीक्षण करने के लिए शक्ति ।

19. परीक्षण के फलस्वरूप हुए खर्चे का भुगतान किया जाना ।

20. खर्चे किस प्रकार अभिनिश्चित किए जाएंगे ।

21. न्यूसेन्स के आरोप के लिए दायित्व ।

22. संगम विलेख तथा अन्य सभी नियमों आदि की मूल प्रतियां कम्पनी के कलकत्ता के कार्यालय तथा संयुक्त स्टाक कम्पनी के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अथवा फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख पालक के कार्यालय में निरीक्षण के लिए रखा जाएगा ।

23. आदेशिका का तामील किया जाना ।

24. शास्तियों, आदि का वसूल किया जाना ।

25. करस्थम् द्वारा उद्ग्रहण ।

26. प्ररूप, आदि के अभाव में करस्थम् का अविधिपूर्ण न होना ।

27. निर्वचन ।

ओरियण्टल गैस कम्पनी

(1857 का अधिनियम संख्यांक 5)

[13 फरवरी, 1857]

ओरियण्टल गैस कम्पनी लिमिटेड को कुछ शक्तियां प्रदान करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—भारत में गैस संकर्म आरम्भ करने के प्रयोजन के लिए हाल ही में एक संयुक्त स्टाक कंपनी बनाई गई है जो इंग्लैण्ड में वर्तमान हर मजेस्टी के आठवें वर्ष के शासन में पार्लमेन्ट के अधिनियम के अध्याय 110 के अधीन पूर्ण रूप से रजिस्ट्रीकृत है और इंग्लैण्ड में "दि ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज ऐक्ट, 1856" के अधीन सीमित दायित्व के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उसने ओरियण्टल गैस कम्पनी लिमिटेड के नाम से सम्यक् रूप से निगमन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है; और उक्त कम्पनी ने कलकत्ता नगर के समीप उस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अनुदत्त भूमि पर गैस संकर्म का निर्माण कर लिया है और उक्त नगर में प्रकाश के लिए गैस विनिर्माण और प्रदाय के लिए साधित्र और साज-समान तैयार करने में लगी हुई है; और यह समीचीन है कि उक्त कम्पनी को ऐसी शक्तियां और सुविधाएं दी जाएं जिससे कि वह उक्त कलकत्ता नगर को गैस से प्रकाशमय करने के लिए अपने उपक्रम को कार्यान्वित करने में समर्थ हो सके और उक्त शक्तियों और सुविधाओं का इसमें इसके पश्चात् उक्त कम्पनी के अन्य नगरों तथा स्थानों में संक्रियाएं करने के लिए विस्तार किया जाए; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

1. अधीक्षण के अधीन सड़कों आदि के तोड़ने की और नालियां खोलने की शक्ति—कलकत्ता नगर और उसके उपान्त में और किसी अन्य नगर या स्थान में जिस पर इसके पश्चात् उस प्रयोजन के लिए पारित विधि द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार किया जाए, ओरियण्टल गैस कम्पनी लिमिटेड ऐसे अधीक्षण के अधीन रहते हुए जो इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट हैं, सड़कों और पुलों की मिट्टी और फुटपाथ को खोद और तोड़ सकती है और किसी मलनल, मोरी या सुरंग को भीतर से या ऐसी सड़कों और पुलों के नीचे से खोल और तोड़ सकती है, और उसी सीमा के भीतर पाइप, कन्ड्यूट, सर्विस पाइप और अन्य संकर्म बिछा सकती है और रख सकती है, और समय-समय पर उनकी मरम्मत कर सकती है, उनमें तब्दीली कर सकती है या उन्हें हटा सकती है, और किसी ऐसे मलनल का निर्माण भी कर सकती है जो धोवन ओर अपशिष्ट द्रवों को, जो गैस बनाने के कारण उत्पन्न हों, बाहर ले जाने के लिए आवश्यक हों और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए ऐसी सड़कों और पुलों से या उनके नीचे की सभी भूमि और साज-सामान को हटा सकती है या उसका प्रयोग कर सकती है; और ऐसी सड़कों पर खम्भों, दीपकों और अन्य संकर्मों का निर्माण कर सकती है; और अन्य सब कार्य कर सकती है जो उक्त कम्पनी को समय-समय पर उक्त कलकत्ता नगर और उसके उपान्त अथवा पूर्वोक्त अन्य नगर या स्थान के निवासियों को, इसके द्वारा अनुदत्त शक्तियों के निष्पादन में कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए और ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर देते हुए जो ऐसी शक्तियों के निष्पादन में हुए हों, गैस प्रदाय करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।

2. बिना सहमति के प्राइवेट भूमि पर प्रवेश न करना—परन्तु इसमें की कोई भी बात उक्त कम्पनी को कोई पाइप या अन्य संकर्म को किसी भवन या किसी ऐसी भूमि में, जो जनसाधारण के प्रयोग के लिए नहीं है, उसके स्वामियों और अधिभोगियों की सम्मति के बिना, बिछाने या उसमें रखने के लिए कभी भी प्राधिकृत या सशक्त नहीं करेगी सिवाय उस दशा में जिसमें कि उक्त कम्पनी किसी भी समय किसी ऐसी भूमि में जिसमें इस अधिनियम के अनुसरण में कोई पाइप पहले से ही विधिपूर्वक बिछाया गया है या रखा गया है विद्यमान पाइप के स्थान पर नया पाइप बिछाने या रखने के लिए प्रवेश करती है और इस प्रकार बिछाए गए किसी पाइप की मरम्मत कर सकेगी या उसमें परिवर्तन कर सकेगी ।

3. सड़क तोड़ने या मोरी खोलने से पहले नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों पर सूचना की तामील—उक्त कम्पनी, किसी सड़क, पुल, मलनल, मोरी या सुरंग को खोलने या तोड़ने से पूर्व, उसे खोलने या तोड़ने के आशय की लिखित सूचना द्वारा जो ऐसे कार्य के प्रारम्भ करने से कम से कम तीन दिन पूर्व, कलकत्ता नगर के नगरपालिक आयुक्त को या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके नियंत्रण या प्रबंध में वह हो अथवा उसके लिपिक, सर्वेक्षक या अन्य अधिकारी को देगी । आपात की दशा में किसी पाइप में या अन्य संकर्म में किसी त्रुटि के कारण कार्य आरम्भ करना पड़ता है तो आवश्यकतानुसार कार्य आरम्भ करते ही जितना शीघ्र हो सके सूचित करेगी ।

4. सड़कों या मोरियों का उन व्यक्तियों के अधीक्षण के सिवाय जिनका उन पर नियंत्रण है, खोला न जाना । यदि वे व्यक्ति जिनके पास नियंत्रण, आदि हैं, अधीक्षण में असफल रहते हैं तो कंपनी संकर्म आरंभ कर सकेगी—पूर्वोक्त आपात दशाओं के सिवाय ऐसी कोई सड़क, पुल, मलनल, मोरी या सुरंग उन व्यक्तियों के अधीक्षण के अधीन ही खोली या तोड़ी जाएगी जिनका उन पर नियंत्रण या प्रबंध है; और यह कार्य ऐसे व्यक्ति या उनके अधिकारियों द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाएगा; अथवा जब ऐसी योजना के संबंध में कोई मतभेद है तब ऐसी योजना के अनुसार की जाएगी, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाएगी, और ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसे मलनल या मोरी पर नियंत्रण या प्रबंध रखने वाले व्यक्तियों या उनके अधिकारियों के आवेदन पर, उक्त कम्पनी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी संकर्म के निष्पादन के दौरान किसी उक्त मलनल या मोरी के जल-निकास में कोई बाधा न पड़े और उसके लिए ऐसा कोई अस्थायी या अन्य संकर्म, जो वह आवश्यक समझे बना सकेगी :

परन्तु यदि नियंत्रण और प्रबंध रखने वाले पूर्वोक्त व्यक्ति और उनके अधिकारी ऐसी किसी सड़क, पुल, मलनल, मोरी या सुरंग खोलने के लिए नियत समय पर उक्त कम्पनी के पूर्वोक्त आशय की सूचना प्राप्त करने के पश्चात् पहुंचने में असफल रहते हैं अथवा उसे तोड़ने या खोलने के लिए किसी योजना की प्रस्थापना नहीं करते हैं या संक्रिया के अधीक्षण से इन्कार करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं, तो उक्त कम्पनी ऐसे व्यक्तियों या उनके अधिकारी के अधीक्षण के बिना ही उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट संकर्म कर सकेगी ।

5. तोड़े गए मार्गों को विलम्ब किए बिना पहले जैसा करना—जब उक्त कम्पनी सड़क या किसी मार्ग या पुल की पटरी अथवा किसी मलनल, मोरी, या सुरंग को खोलती या तोड़ती है तो वह यथाशक्य शीघ्रता से उस संकर्म को पूरा करेगी जिसके लिए वह तोड़ा गया था और भूमि को पाटेगी और उसे पहले जैसा करेगी और इस प्रकार खोली या तोड़ी गई सड़क तथा पटरी अथवा मलनल, मोरी या सुरंग को ठीक करेगी तथा वहां एकत्रित कूड़े-करकट को हटवाएगी; और हर समय जब ऐसी किसी सड़क या पटरी को इस प्रकार खोला जाए या तोड़ा जाए तब उस पर बाड़ या घेरा लगवाएगी तथा जब कभी ऐसी सड़क या पटरी के उस स्थान के पास जहां वह संकर्म खोला या तोड़ा जा रहा है, जब तक वह खुली या टूटी रहती है तब तक हर रात्रि को यात्रियों को सावधान करने के लिए पर्याप्त प्रकाश करवाएगी तथा उसे बनाए रखने की व्यवस्था करवाएगी और इस प्रकार तोड़ी गई सड़क या पटरी को तीन मास के लिए ठीक मरम्मत करा कर रखेगी और ऐसे अतिरिक्त समय के लिए भी कर सकेगी, यदि कोई हो, किन्तु कुल मिलाकर बारह मास से अधिक के लिए नहीं क्योंकि इस प्रकार खोदी गई मिट्टी का धंसना जारी रहेगा ।

6. मार्गों को पहले जैसा करने में विलम्ब के लिए शास्ति—यदि उक्त कम्पनी किसी सड़क या पुल या किसी मलनल, मोरी या सुरंग को पूर्वोक्त रीति से सूचना दिए बिना या ऐसी रीति से जो यथापूर्वोक्त अनुमोदित या अवधारित नहीं है, तोड़ती है या खोलती है तो उन मामलों के सिवाय जिनमें उक्त कम्पनी को इसके द्वारा बिना किसी अधीक्षण या सूचना के संकर्मों को करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, अथवा यदि उक्त कम्पनी किसी संकर्म को पूरा करने के लिए कोई विलम्ब करती है, या भूमि को भरने या उसे पुन: स्थापित करने और सड़क या पटरी को, या इस प्रकार खोले या तोड़े गए मलनल, मोरी या सुरंग को ठीक करने में अथवा उसमें एकत्रित कूड़े-करकट को हटाने में अथवा यदि वे ऐसे स्थान को, जहां सड़क या पटरी को तोड़ा गया है, बाड़ लगाने, सुरक्षित रखने तथा प्रकाशमय रखने में उपेक्षा करती है अथवा सड़क और पटरी को उसके ठीक किए जाने के आगामी तीन मास तक की अवधि तक या पूर्वोक्त ऐसे अतिरिक्त समय तक मरम्मत करने में उपेक्षा करती है, तो वह सड़क, पुल, मलनल, मोरी या सुरंग के नियंत्रण करने या प्रबन्ध करने वाले व्यक्तियों को, ऐसी की गई चूक की बाबत ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए उसकी पचास रुपए से अनधिक की राशि समपहृत हो जाएगी और वह प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान पूर्वोक्त ऐसा विलम्ब उसके बारे में सूचना प्राप्त करने के बारे में जारी रहता है, अतिरिक्त राशि जो पचास रुपए से अधिक नहीं होगी, समपहृत हो जाएगी ।

7. विलम्ब की दशा में अन्य पक्षकार पहले जैसा कर सकेंगे और खर्चे वसूल कर सकेंगे । खर्चे कैसे अभिनिश्चित किए जाएंगे और कैसे वसूल कर सकेंगे—यदि पूर्वोक्त जैसा कोई विलम्ब या लोप हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति जिनके नियंत्रण या प्रबन्ध में वह मार्ग, पुल, मलनल, मोरी या सुरंग है जिनकी बाबत ऐसा विलम्ब या लोप होता है, इस प्रकार विलम्बित या लोप किए गए संकर्म को पूरा करवाएगा; और उसे पूरा करने का खर्च उक्त कम्पनी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पुन: संदत्त किया जाएगा; और ऐसे खर्चे की रकम, उनके बारे में किसी विवाद के मामले में, कलकत्ता में और किसी अन्य नगर या स्थान में जो हर मजेस्टी के न्यायालय की अधिकारिता के अधीन है उसी रीति से अभिनिश्चित और वसूल किए जाएंगे जिस रीति से 1856 के अधिनियम संख्यांक 14[1] के अधीन खर्चे अभिनिश्चित और वसूल किए जाते हैं और किसी नगर या स्थान में जो हर मजेस्टी के न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं है उसी रीति से वसूल किए जाएंगे जैसे कि इस अधिनियम के अधीन नुकसानी वसूली की जाती है ।

8. उपभोग की गई गैस की मात्रा अभिनिश्चित करने के लिए भवनों में प्रवेश करने की शक्ति—उक्त कम्पनी द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्त किए गए लिपिक, इंजीनियर या अन्य अधिकारी सभी युक्तियुक्त समय पर उक्त कम्पनी द्वारा प्रदाय की गई गैस द्वारा प्रकाश किए गए किसी भवन या स्थान में, मीटरों और गैस प्रदाय को नियमित करने के लिए संकर्मों का निरीक्षण करने के लिए तथा उपभोग या प्रदाय की गई गैस की मात्रा को अभिनिश्चित करने के लिए, प्रवेश कर सकता है; और कोई व्यक्ति ऐसे पूर्वोक्त अधिकारी को पूर्वोक्त रूप में युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने तथा निरीक्षण करने में प्रतिबाधित करेगा तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए उक्त कम्पनी को ऐसी राशि समपहृत करेगा जो पचास रुपए से अधिक नहीं होगी ।

9. गैस के लिए शोध्य भाटक की वसूली—यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उक्त कम्पनी द्वारा गैस का प्रदाय किया गया है अथवा कोई व्यक्ति जिसे कोई मीटर या साज-सामान भाड़े पर दिया गया है, उक्त कम्पनी को उसके लिए शोध्य भाटक संदाय करने में उपेक्षा करता है तो उक्त कम्पनी ऐसे व्यक्ति के परिसर में सर्विस पाइप को काटकर या ऐसे साधनों द्वारा जिसे उक्त कम्पनी उचित समझे गैस के प्रदाय को रोक सकेगी और ऐसे व्यक्ति से, शोध्य भाटक को, गैस काटने के खर्चे सहित, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में कार्यवाही द्वारा, वसूल कर सकेगी ।

10. जब गैस का प्रदाय बन्द हो जाता है तब पाइपों को ले जाने की शक्ति—उन सभी मामलों में जिनमें उक्त कम्पनी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी गृह या भवन या परिसर से गैस प्रदाय को काटने या उसे वहां से हटा लेने के लिए प्राधिकृत है, वहां उक्त कम्पनी, उसके अभिकर्ता या कर्मकार, अधिभोगी को चौबीस घंटे की पूर्व सूचना देने के पश्चात् ऐसे किसी गृह, भवन या

[1] 1874 के अधिनियम सं० 16 द्वारा निरसित ।

परिसर में प्रात: नौ बजे से सायं चार बजे के बीच प्रवेश कर सकेगा और किसी पाइप, मीटर, फिटिंग या अन्य संकर्मों को, जो उक्त कम्पनी की संपत्ति है, हटा सकेगा और उसे वहां से ले जा सकेगा ।

11. भाटक आदि के लिए मीटर करस्थम् के लिए दायी नहीं होगा—उक्त कम्पनी द्वारा भाड़े पर दिए गए मीटर या फिटिंग भाटक या राजस्व या ऐसे परिसर पर शोध्य किसी दर के, जहां उसका प्रयोग किया जा सकता है, अधीन नहीं होंगे और न ही उन्हें न्यायालय या साम्या न्यायालय की किसी आदेशिका के अथवा दिवाला संबंधी किसी कार्यवाही में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके कब्जे में वह हो, निष्पादन में लिया जाएगा ।

12. कपटपूर्वक गैस के प्रयोग के लिए शास्ति—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त कम्पनी की सहमति के बिना उसके किसी पाइप से जोड़ने के लिए कोई पाइप रखेगा या रखवाएगा अथवा पूर्वोक्त रूप में ऐसे मीटर को कपटपूर्वक क्षति पहुंचाएगा, या जो ऐसी दशा में जिसमें उक्त कम्पनी द्वारा प्रदाय की गई गैस मीटर द्वारा अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है; कोई ऐसे बर्नर से भिन्न बर्नर का प्रयोग करेगा जो उक्त कम्पनी द्वारा नहीं दिया गया है अथवा अनुमोदित नहीं किया गया है अथवा ऐसे परिमाप से बड़े परिमाप का प्रयोग करेगा जिसके लिए उसने संदाय करने की संविदा की थी या वह बत्ती को उस समय से अधिक समय तक जलने देगा जितने समय के लिए संविदा की थी अथवा वह गैस का अन्यथा अनुचित प्रयोग करेगा या उसे जलाएगा अथवा उक्त कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय की गई गैस के किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को प्रदाय करेगा तो उक्त कम्पनी को प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए उसकी पचास रुपए की राशि समपहृत हो जाएगी और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए भी जिसमें ऐसा पाइप इस प्रकार रह गया हो या ऐसे संकर्मों या बर्नर का इस प्रकार प्रयोग किया गया हो अथवा ऐसे उल्लंघन इस प्रकार किए गए हों या चालू रहे हों या ऐसा प्रदाय किया गया हो, उसकी बीस रुपए की राशि समपहृत हो जाएगी; और उक्त कम्पनी इस प्रकार अपराध करने वाले व्यक्ति के गृह और परिसर से, किसी ऐसी संविदा के रहते हुए, जो पहले की गई हो, गैस वापस ले जा सकती है ।

13. जानबूझकर पाइपों को नुकसान पहुंचाने के लिए शास्ति—प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त कम्पनी के लिए किसी पाइप, खम्भे, स्तम्भ, डाट, दीप अथवा अन्य संकर्म को जानबूझकर गैस प्रदाय करने के लिए हटाएगा, नष्ट करेगा या उसे नुकसान पहुंचाएगा अथवा जो कोई जानबूझकर सार्वजनिक दीपों या बत्तियों को बुझाएगा या उसे नष्ट करेगा अथवा उक्त कम्पनी द्वारा प्रदाय की गई किसी गैस का अनुचित उपभोग करेगा तो उसकी ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए उक्त कम्पनी को ऐसी राशि, जो पचाए रुपए से अधिक नहीं होगी, नुकसान पहुंचाई गई रकम के अतिरिक्त समपहृत हो जाएगी ।

14. पाइपों के दुर्घटनावश नुकसान के लिए तुष्टि—प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त कपनी के अथवा उसके नियंत्रण के अधीन किसी पाइप, स्तम्भ या दीप को असावधानी से या दुर्घटनावश तोड़ेगा, उन्हें फेंकेगा या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो वह उक्त कम्पनी को उसको किए गए नुकसान के लिए तुष्टि के रूप में ऐसी धनराशि संदत्त करेगा जैसी कि कोई मजिस्ट्रेट युक्तियुक्त समझे किन्तु यह पचास रुपए से अधिक नहीं होगी ।

15. जल दूषित करने के लिए शास्ति । अपराध के सतत होने के लिए प्रतिदिन शास्ति—यदि उक्त कम्पनी किसी समय किसी सरिता, जलाशय कृत्रिम जल प्रणाली, ताल या जल स्थान के बीच से किसी भी समय गैस के प्रदाय या उसके विनिर्माण में उत्पादित धोवन या अन्य पदार्थ लाएगी, या लाए जाने के लिए अनुज्ञा देगी या प्रवाहित करेगी अथवा जानझूकर गैस के विनिर्माण या उसके प्रदाय से सम्बन्धित कोई कार्य करेगी जिससे कि ऐसी किसी सरिता, जलाशय, कृत्रिम जल प्रणाली, ताल या जल स्थान का जल दूषित हो जाए तो उक्त कम्पनी की प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए उसकी ऐसी राशि जो एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, समपहृत हो जाएगी और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान ऐसे धोवन या अन्य पदार्थ लाए जाएं या बहते रहें अथवा ऐसा कार्य जिससे कि ऐसा जल का दूषित होना चालू रहे उक्त कम्पनी को ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके जल में ऐसा धोवन या अन्य पदार्थ लाए गए हों या बहे हों या जिसके कारण उसका जल दूषित हुआ हो, ऐसे समय से चौबीस घंटे समाप्त होने के पश्चात् जिससे कि अपराध के बारे में सूचना दी गई है उसकी ऐसी अतिरिक्त राशि सहपहृत हो जाएगी जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी शास्ति ऐसे अन्तिम वर्णित व्यक्ति को संदत्त की जाएगी ।

16. सूचना के पश्चात् गैस की निकासी के दौरान प्रतिदिन शास्ति—जब कभी उक्त कम्पनी द्वारा रखे गए या लगाए गए अथवा उसके स्वामित्वाधीन पाइप से कोई गैस निकलती है तो वह लिखित रूप में सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त उक्त गैस को निकलने से रोकेगी और उस दशा में जिसमें उक्त कम्पनी ऐसी सूचना की प्राप्ति के अगले चार घंटों के भीतर प्रभावी रूप में गैस को निकलने से नहीं रोकती है तथा परिवाद के कारण को पूर्ण रूप से दूर नहीं करती है तो उक्त सूचना की तामील करने के समय से चौबीस घंटे की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान गैस निकलती रही है, उसकी पचास रुपए की राशि समपहृत हो जाएगी ।

17. यदि गैस द्वारा जल दूषित हुआ है तो उसके लिए शास्ति—जब कभी उक्त कम्पनी का गैस द्वारा कोई जल दूषित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जिसका जल इस प्रकार दूषित हुआ है, उक्त सूचना की तामील करने के समय से, चौबीस घंटे की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए उसकी राशि जो दो सौ रुपए से अधिक नहीं होगी और प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहे, एक अतिरिक्त राशि जो एक सौ रुपए से अधिक नहीं होगी, समपहृत हो जाएगी ।

18. जल दूषित हो जाने के कारण को अभिनिश्चित करने के लिए पाइपों का निरीक्षण करने के लिए शक्ति—इस बात को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या ऐसा जल उक्त कम्पनी की गैस से दूषित हुआ है या नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में यह समझा जाए कि वह दूषित जल का स्वामी है, भूमि खोद सकेगा और उक्त कम्पनी के पाइप, कन्ड्यूट और अन्य सकर्मों का निरीक्षण

कर सकेगा परन्तु ऐसा व्यक्ति इस प्रकार खोदने और निरीक्षण करने से पूर्व उक्त कम्पनी को चौबीस घण्टे की लिखित सूचना देकर बताएगा कि किस समय उक्त खुदाई तथा निरीक्षण आरम्भ करने का आशय है और इसी प्रकार की एक सूचना ऐसे व्यक्तियों को देगा जिनके नियंत्रण या प्रबन्ध में वे सड़कें, पटरी या स्थान हैं जहां उक्त खुदाई की जानी है और वे उक्त सड़क और पटरी को पहले जैसा करने के लिए उसी प्रकार की बाध्यताओं के अधीन होंगे और विलम्ब या उसमें किसी अकरण या अपकरण के लिए उसी प्रकार की शास्ति के अधीन होंगे जो इसमें इसके पूर्व उक्त कम्पनी द्वारा तोड़ी गई सड़कों और पटरियों की बाबत अपनी पाइपों के बिछाने के प्रयोजन के लिए उपबन्धित की जाएं ।

19. परीक्षण के फलस्वरूप हुए खर्चे का भुगतान किया जाना—यदि कोई परीक्षण करने पर यह प्रतीत होता है कि उक्त कम्पनी की गैस द्वारा ऐसे जल का दूषण हुआ है तो खुदाई, परीक्षण और परीक्षण के दौरान अस्त-व्यस्त हुई सड़क या स्थान में हुए खर्चे उक्त कम्पनी द्वारा संदत्त किए जाएंगे, किन्तु यदि ऐसे परीक्षण के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि उक्त कम्पनी की गैस द्वारा जल दूषित नहीं हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा परीक्षण करवाया है ऐसे सभी खर्चे संदत्त करेगा और उक्त कम्पनी को ऐसे परीक्षण द्वारा उसके संकर्मों को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति करेगा ।

20. खर्चे किस प्रकार अभिनिश्चित किए जाएंगे—प्रत्येक ऐसे परीक्षण और मरम्मत में हुए खर्चे की रकम और कम्पनी को की गई क्षति के बारे में विवाद के मामले, जिसके अन्तर्गत अभिनिश्चित और वसूल किए जाने की लागत भी है, इस अधिनियम की धारा 7 में अभिनिश्चित करने के लिए विहित रीति से अभिनिश्चित और वसूल किए जाएंगे ।

21. न्यूसेन्स के आरोप के लिए दायित्व—इस अधिनियम की कोई बात उक्त कम्पनी को न्यूसेन्स के आरोप के दायित्व से अथवा किसी अन्य विधिक कार्यवाहियों के लिए जिसके लिए वे गैस बनाने या उसका प्रदाय करने के फलस्वरूप दायी हो; निवारित नहीं करेगी ।

22. संगम विलेख तथा अन्य सभी नियमों आदि की मूल प्रतियां कम्पनी के कलकत्ता के कार्यालय तथा संयुक्त स्टाक कम्पनी के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अथवा फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख पालक के कार्यालय में निरीक्षण के लिए रखा जाएगा—उक्त कम्पनी के संगम विलेख की एक मूल प्रति तथा उक्त जाइन्ट स्टाक कम्पनीज ऐक्ट, 1856 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक अन्य लिखत की प्रति जो कम्पनी के विनियमों के रूप में तथा साधारण बैठक के विशेष संकल्प की एक प्रति जिसके द्वारा उक्त कम्पनी के विनियम में कोई परिवर्तन किया गया हो या किसी समय किया जाए, उक्त कम्पनी के कलकत्ता के कार्यालय में रखा जाएगा और उक्त कार्यालय के कारबार के प्रायिक समय में सभी व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और उक्त संगम विलेख की प्रति तथा अन्य ऐसे लिखत की प्रति तथा पूर्वोक्त प्रत्येक विशेष संकल्प की प्रति इस अधिनियम के पारित हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उक्त कम्पनी द्वारा निक्षिप्त की जाएगी अथवा उक्त विशेष संकल्प के पारित होने के पश्चात् जो इसके पश्चात् ज्वाइन्ट कम्पनी के रजिस्ट्रार के कार्यालय में पारित किया जाएगा अथवा यदि ऐसा कोई अधिकारी नहीं है तो फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर[1] के अभिलेखपालक के कार्यालय में रखी जाएगी और वहां फाइल कर दी जाएगी; तथा पूर्वोक्त फाइल की गई प्रति की परीक्षित प्रति जो ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी के रजिस्ट्रार उक्त सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखपालक द्वारा अनुप्रमाणित तथा हस्ताक्षरित होगी, ऐसे प्रत्येक मूल विलेख, लिखत अथवा विशेष संकल्प के बारे में, सभी कार्रवाइयों, वादों तथा कार्यवाहियों में चाहे वे सिविल हों अथवा दाण्डिक किसी न्यायालय में अथवा किसी मजिस्ट्रेट या राजस्व अथवा अन्य अधिकारी के समक्ष अच्छा तथा पर्याप्त साक्ष्य होगी और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त राज्यक्षेत्र के भीतर होगा चाहे वे न्यायिकत: कार्य कर रहे हों अथवा न्यायिक जांच की प्रारंभिक कार्यवाहियों में कार्य कर रहे हों ।

23. आदेशिका का तामील किया जाना—अन्त:कालीन और अन्य आदेशिकाएं और ऐसी अन्य सूचनाएं जिनका विधि द्वारा या किसी न्यायालय की पद्धति द्वारा जिसमें उक्त कम्पनी वाद लाएगी या उस कम्पनी पर वाद लाया जाएगा, उक्त कम्पनी को किसी भी प्रयोजन के लिए तामील किया जाना या दिया जाना अपेक्षित है, उन समस्त साधनों के अतिरिक्त, जिनके द्वारा वे अन्यथा विधिक रूप में तामील की जा सकती हों या दी जा सकती हों कलकत्ता स्थित उक्त कम्पनी के कार्यालय में उक्त कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ता के पते पर तामील की जाएंगी या की जा सकेंगी अथवा दी जाएंगी या दी जा सकेंगी ।

24. शास्तियों, आदि का वसूल किया जाना—इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित सभी शास्तियां और समपहरण और सभी नुकसानी तथा खर्चे जिनके बारे में विशेष रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा वसूल किए जा सकेंगे ।

25. करस्थम् द्वारा उद्ग्रहण—सभी शास्तियां, समपहरण, नुकसानी तथा खर्चे जो इस अधिनियम के अधीन शोध्य अधिनिर्णीत हों, यदि वह रकम अन्यथा संदत्त नहीं की गई है, तो ऐसे पक्षकार के माल और जंगम वस्तु को जो उसे संदत्त करने के लिए दायी है, करस्थम् तथा विक्रय द्वारा उद्गृहीत किए जा सकेंगे तथा ऐसे माल और जंगम वस्तु से उद्भूत अतिशेष को, ऐसी रकम को चुकाने तथा करस्थम् और विक्रय में हुए खर्च को काटने के पश्चात् ऐसे पक्षकार को जिसका माल जब्त किया गया था, मांग करने पर वापस कर दिया जाएगा; अथवा करस्थम् और विक्रय द्वारा कार्यवाही करने के बजाय अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अधिरोपित या उपगत किसी शास्ति, समपहरण, नुकसानी या खर्चे के पूरे भाग या उसके किसी भाग को करस्थम् द्वारा वसूल करने की विफलता की दशा में, ऐसी शास्ति, समपहरण, नुकसानी या खर्चे का दावा करने वाला व्यक्ति किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वाद ला सकेगा जो उसका संदाय करने के लिए दायी है ।

---

[1] अब कलकत्ता उच्च न्यायालय ।

26. प्ररूप, आदि के अभाव में करस्थम् का अविधिपूर्ण न होना—इस अधिनियम के आधार पर उद्गृहीत कोई करस्थम् अविधिपूर्ण नहीं समझा जाएगा; और न उसे करने वाला कोई पक्षकार अतिचारी समझा जाएगा और न ही किसी त्रुटि के कारण या समन, दोषसिद्धि करस्थम् के वारन्ट अथवा उससे संबंधित किसी अन्य कार्यवाही में किसी प्ररूपिक अभाव के कारण उसे अविधिपूर्ण समझा जाएगा और न ऐसे किसी पक्षकार को उसके द्वारा वाद में की गई किसी अनियमितता के कारण आरम्भ से ही अतिचारी समझा जाएगा किन्तु किसी भी अनियमितता से व्यथित कोई व्यक्ति सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय की मार्फत विशेष नुकसान के लिए पूर्ण तुष्टि वसूल कर सकेगा ।

27. निर्वचन—जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कुछ बातें ऐसे अर्थान्वयन के विरुद्ध न हों, इस अधिनियम में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें इसके द्वारा दिए गए हैं, (अर्थात्) :—

एक वचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत एक वचन आता है ।

पुल्लिंग वाचक शब्दों के अन्तर्गत स्त्रीलिंग आएगा । "व्यक्ति" शब्द के अन्तर्गत निगम होगा चाहे वह समष्टि या एकमात्र हो ।

"मार्ग" शब्द के अन्तर्गत कोई चौराहा, अहाता या वीथि, राजमार्ग, गली, सड़क, आम रास्ता या सार्वजनिक मार्ग या स्थान है ।

"मजिस्ट्रेट" शब्द के अन्तर्गत कोई पुलिस मजिस्ट्रेट और कोई संयुक्त मजिस्ट्रेट या कोई अन्य व्यक्ति है, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का, ऐसे स्थान पर या उसके लिए या ऐसे जिले के लिए जहां ऐसे किसी मजिस्ट्रेट के संज्ञान की बात उद्भूत होती है, विधिपूर्वक प्रयोग कर रहा है ।

———